रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2216] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936
No. 2216] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2776 (अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2433 (अ), तारीख 21.10.2011 और का.आ. 1399 (अ), तारीख 27.09.2005 द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 274.800 कि.मी. से 341.600 कि.मी. (तिरुपति–तिरुथानी–आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा) और तमिलनाडु राज्य में 0.000 कि.मी. से 81.600 कि.मी. (तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा–तिरुपति चेन्नई) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 पर 274.800 कि.मी. से 341.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 274.800 कि.मी. से 338.030 कि.मी.) और तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 0.000 कि.मी. से 59.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 61.470 कि.मी.) तक तिरुपति–तिरुथानी–चेन्नई सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो/चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु 16.04.2010 को प्रस्तुत बोली हेतु मैसर्स ट्रांसट्राय तिरुपति–तिरुथानी–चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 8–3–833/104, मेन रोड, कमलापुरी कालोनी, हैदराबाद, 500073, आंध्र प्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 12.07.2010 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रभावित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 42.220 कि.मी. लम्बाई के उपयोग के लिए, उक्त खण्ड के चार या अधिक लेन के उपयोगों के लिए, यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर और 63.680 कि.मी. लम्बाई वाले सेक्शन के दो लेन/पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए, उक्त खण्ड के चार लेन में चौड़ीकरण तक के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए गए आधार दर के साठ प्रतिशत पर और पचास करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले एक बाइपास, जिसकी कुल लम्बाई 18.800 कि.मी. है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, सारणी 2 में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा

घोषित वाणिज्यक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणमत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथा विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

शुल्क की "आधार दर" प्रतिवाहन प्रति यात्रा (रुपए में)					
स्थायी पुल अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर, प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	**लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
चित्तुर जिले (आंध्र प्रदेश) में गांव एस.वी.पुरम के पास रा रा–205 का 305.800 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 309.300 कि.मी.)	274.800 कि.मी. से 318.300 कि.मी. तक 24.700 कि.मी. (4 लेन) (18.800 कि.मी. बाइपास को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	318.300 कि.मी. से 338.030 कि.मी. तक 19.730 कि.मी. (पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
तिरुवल्लूर जिले (तमिलनाडु) में गांव सेवापेट के पास रा रा–205 का 55.800# कि.मी. (विद्यमान चैनेज 56.000 कि.मी.)	43.950 कि.मी. से 61.470 कि.मी. तक 17.520 कि.मी. (4 लेन)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	0.000 कि.मी. से 43.950 कि.मी. तक 43.950 कि.मी. (पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* रियायत करार के अनुसार, उपर्युक्त खण्ड को चार लेन के सेक्शन का रूप दिए जाने तक, 2 लेन के सेक्शन के लिए आधार दर का 60% दर से शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 318.300 कि.मी. से 338.000 कि.मी. तक (अर्थात् 19.730 कि.मी. लम्बाई) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के खण्ड की क्षमता में वृद्धि कर चार लेन का खण्ड बनाने का काम 31 मार्च, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और तमिलनाडु में 0.000 कि.मी. से 43.950 कि.मी. तक (अर्थात् 43.950 कि.मी. लम्बाई) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के खण्ड की क्षमता में वृद्धि कर चार लेन का खण्ड बनाने का काम 31 मार्च, 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा और तदनुसार, प्रयोक्ताशुल्क शुल्क की दरों में संशोधन हेतु चार लेन का बनाए जाने का काम पूरा होने की तारीख को लागू आधार दरों के आधार पर विचार किया जाएगा। लागू टोल शुल्क संग्रहण को राजमार्ग परियोजना की पूरी कर ली गई लम्बाई तक ही सीमित रखा जाएगा।

स्थायी टोल प्लाजा का निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण, अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख संबंधी प्रमाणपत्र के अनुसार पूरी कर ली गई लम्बाई हेतु तिरुवल्लूर जिले (तमिलनाडु) में गांव पट्टाराइ पेरम्बदूर ए के पास रा.रा. 205 के 38.100 कि.मी. पर स्थित अस्थायी टोल प्लाजा पर किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक बाइपास के मामले में, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिसपर शुल्क संदेय है
	लम्बाई	लागत	
चित्तुर जिले (आंध्र प्रदेश) में गांव एस.वी.पुरम के पास रा रा–205 का 305.800 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 309. 300 कि.मी.)	274.800 कि.मी. से 293.600 कि.मी. तक 24.700 कि.मी. (4 लेन) (18.800 कि.मी. बाइपास को छोड़कर)	98.90 करोड़	उपर्युक्त सारणी 2 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे वाहन को प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग अनुमति तब तक नहीं होगी जब तब कि ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना परियोजना की पूरी कर ली गई हेतु प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उसमें उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/636/11–12/सीओ/जीसी चेन्नई (274.8–341.60 & 0.00–59.60) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

S.O. 2776(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2433(E) dated 21.10.2011 and S.O.1399(E) dated 27.09.2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of National Highway No. 205 from Km 274.800 to Km 341.600 (Tirupati – Tiruthani – Andhra Pradesh/Tamil Nadu Border) in the State of Andhra Pradesh and Km 0.000 to Km 81.600 (Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border – Tiruthani Chennai) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 12.07.2010 with M/s Transstroy Tirupati- Tiruthani – Chennai Tollways Private Limited, having its registered office at

8-3-833/104, Main Road, Kamalapuri Colony, Hyderabad-500073, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 16.04.2010 for the development of Tirupati - Tiruthani -Chennai section from Km 274.800 to Km 341.600 (design chainage Km 274.800 to Km 338.030) on National Highway No. 205 in the State of Andhra Pradesh and Km 0.000 to Km 59.600 (design chainage Km 0.000 to Km 61.470) on National Highway No. 205 in the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the "said section") to two/four lane divided carriageway with paved shoulders and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of 42.220 km. length for use of the four and more lane of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") and at sixty percent of the base rate provided in the column (2) of Table 1 for use of two lane/two lane with paved shoulder section of 63.680 km length till its widening to four lane of the said section and at the rates specified in the Table No. 2 for one bypass costing Rupees Fifty crore or more having an aggregate length of 18.800 km. on the Type of Vehicles specified in Table 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in. the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

TABLE-2

Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (Rupees in crore)	Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)				
	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicles or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Over sized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen core and up to Rupees one hundred crore	1	1.50	3	4.50	6

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (s) (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rates at which fee is payable
At Km. 305.800 (Existing Chainage km 309.300) of NH-205 near Village S.V. Puram in Chittoor District (Andhra Pradesh)	24.700 km (4-lane) (excluding 18.800 Km of Bypass) from km 274.800 to km 318.300	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	19.730 km* (2-lane with paved shoulders) from km 318.300 to km 338.030	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 55.800# (Existing Chainage km 56.000) of NH-205 near Village Sevapet in Tiruvallur District (Tamil Nadu)	17.520 km (4-lane) from km 43.950 to km 61.470	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	43.950 km* (2-lane with paved shoulders) from km 0.000 to km 43.950	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The fee shall be levied at 60% of the base rate for the 2-lane section till the above stretch is configured to four-lane section as per Concession Agreement. The capacity augmentation of the two-lane with paved shoulder stretch from km 318.300 to Km 338.000 in AP (i.e. 19.730 km length) to four-lane stretch shall be completed by 31st march 2025 and of the two-lane with paved shoulder stretch from Km 0.000 to Km 43.950 in TN (i.e. 43.950 km length) to four-lane stretch shall be completed by 31st March, 2031 and accordingly the base rates as applicable on completion date of four-laning shall be considered for revision of User fee rates. The applicable toll fee collection shall be restricted to the completed length of Project Highway only.

\# Till completion of construction of permanent Toll Plaza, the user fee for the completed length as per Provisional Commercial Operation Date (PCOD) certificate, shall be collected at temporary toll plaza at km 38.100 of NH-205 near village Pattarai Perumbadhur A in Tiruvallur District (Tamil Nadu).

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the case of the following 1 (one) bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (s) (Design Chainage)	Length (in km) and Cost of bypass (Rupees in Crore) for which additional fee is payable		Rates at which fee is payable
	Length	Cost	
At Km 305.800 (Existing Chainage km 309.300) of NH-205 near Village S.V. Puram in Chittoor District (Andhra Pradesh)	18.800 Km (Tirupati Bypass) from Km 274.800 to Km 293.600 (Design Chainage)	Rs. 98.90 Crore	150% of the base rates mentioned in Table-2 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred fifteen only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journey	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority for the completed portion of length of the project. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No NHAI/13013/636/11-12/CO/GC Chennai (274.8-341.60 & 0.00-59.60) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

4282 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

100

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/पौष 9, 1936
No. 2682] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3321(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5.12.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 274.800 कि.मी. से 341.600 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 274.800 कि.मी. से 338.030 कि.मी. तक) और तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के 0.000 कि.मी. से 59.600 कि.मी. तक) का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, तिरुपति–तिरुथानी–चेन्नई सेक्शन का पेव्डशोल्डर्स सहित दो/चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने तथा उक्त खण्ड के अनुरक्षण हेतु तारीख 28.10.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2776 (अ) द्वारा मैसर्स ट्रांसट्रल तिरुपति–तिरुथानी–चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ.सं. 2776 (अ), तारीख 28.10.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

टिप्पणियों का पैरा 2 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित 1 (एक) बाइपास के मामले में, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऊपर सारणी–2 में उल्लिखित आधार दरों पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
चित्तूर जिले (आंध्रप्रदेश) में गांव एस.वी. पुरम के पास रारा–205 का 305.800 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 309.300 कि.मी.)	18.800 कि.मी. (तिरुपति बाइपास) 274.800 कि.मी. से 293.600 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज)	98.90 करोड़ रुपए

[फा. सं. भारारापा/13013/636/11–12/सीओ/जीसी चेन्नई (274.8–341.60 और 0.00–59.60)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2014

S.O. 3321(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008, the Central Government, vide notification S.O. 2776 (E) dated 28.10.2014, authorized M/s Transstroy Tirupati- Tiruthani – Chennai Tollways Private Limited to collect and retain the fee for the development of Tirupati - Tiruthani -Chennai section from km. 274.800 to km 341.600 (design chainage km 274.800 to km 338.030) on National Highway No. 205 in the State of Andhra Pradesh and km. 0.000 to km 59.600 (design chainage km 0.000 to km 61.470) on National Highway No. 205 in the State of Tamil Nadu to two/four lane divided carriageway with paved shoulders and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2776 (E) dated 28.10.2014.

The para 2 of notes shall be substituted as follows:

"2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the case of the following 1 (one) bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza, at the base rates mentioned in Table-2 above:

Location of Toll Plaza(s) (Design Chainage)	Length (in km) and Cost of bypass (Rupees in Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
At km 305.800 (Existing Chainage km 309.300) of NH-205 near Village S.V. Puram in Chittoor District (Andhra Pradesh)	18.800 km (Tirupati Bypass) from km 274.800 to km 293.600 (Design Chainage)	Rs. 98.90 Crore

[F. No NHAI/13013/636/11-12/CO/GC Chennai (274.8-341.60 & 0.00-59.60) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.